राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 37/2014
दायरा तिथि 20.05.2014
निर्णय तिथि 03.06.2016

वादीगणः– **बनामः** **प्रतिवादीगणः–**

1–किशनसिंह पुत्र रूपाजी
जाति राजपुरोहित निवासी पुराडा
तहसील सुमेरपुर
2–श्रीमती पोनीदेवी पुत्री रूपाजी
पत्नी जयसिंहजी
जाति राजपुरोहित निवासी पुराडा
हाल सोकडा तहसील बाली

1–श्रीमती धरोपीदेवी पत्नी माधारामजी
जाति देवासी निवासी जाखामाताजी
रोड सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर
2–श्रीमती सीताकंवर पत्नी शैतानसिंहजी
जाति राजपूत निवासी बलुपुरा
3–शेषुदेवी पुत्री मूलसिंहजी जाति पुरोहित
4–सुखीदेवी पुत्री मूलसिंहजी जाति पुरोहित
निवासीगण पुराडा तहसील सुमेरपुर
5–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

दिनांक 03.06.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि उपरोक्त अनबान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत फॉलोअप केम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्तागण उपस्थित। लोक अदालत की भावना से हमने, पक्षकारान की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत वादपत्र पेश कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा पुराडा, पटवार सर्कल पोमावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि गत् खसरा नं. 310 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 793 रकबा 0.81 हेक्टर किस्म बारानी दोयम बने है, उक्त भूमि में भूमि एकीकरण संवत् 2015 के दौरान चुन्नीलाल वल्द धुला 1/4 हिस्सा, अदरींग वल्द भगा 1/4 हिस्सा, रूपा वल्द भगा 1/4 हिस्सा व मूला वल्द भगा 1/4 हिस्सा कौम पुरोहित सा.देह खातेदार दर्ज थे अर्थात वादीगण के पिता स्व.रूपा वल्द भगा के 1/4 हिस्से की भूमि में वादीगण का पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी अधिकार रहा है तथा वादीगण के पिता स्व.रूपा वल्द भगा ने अपने हक–हिस्से की उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में कभी भी किसी व्यक्ति को विक्रय, बख्शीस, वसीयत या अन्य तरह से मुन्तकिल नहीं की है एवं ना ही स्व.रूपा वल्द भगा के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय से कोई निर्णय/डिक्री पारित हो रखी है। उपरोक्त वादग्रस्त 1/4 हिस्सा भूमि पर स्व. रूपा वल्द भगा का उनके जीवनकाल से वादीगण का ही मौके पर कब्जा काश्त आज दिन तक शांति पूर्वक चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं.01 व 02 द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने की धमकिया देने व कोशिश करने पर वादीगण को जानकारी हुई कि सेटलमेंट विभाग के सहायक भू–प्रबंध अधिकारी जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 26.11.1983 पारित कर वादीगण के पिता रूपा वल्द भगा के 1/4 हिस्से को खारिज करके कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उक्त हिस्सा भूमि अचलसिंह पुत्र प्रतापसिंह कौम पुरोहित निवासी मादा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी, जिससे ऐसा इन्द्राज कानूनन शून्य अर्थात void-ab-intio-void है, परन्तु वर्तमान

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में उक्त वादग्रस्त हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं.01 व 02 के नाम से दर्ज होने से प्रतिवादी सं.01 व 02, वादीगण को बेदखल करना चाहते है। इसलिए वादीगण का यह वादपत्र स्वीकार व डिक्री फरमाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 793 रकबा 0.81 हेक्टर किस्म बारानी दोयम के 1/4 हिस्से का वादीगण को प्रतिवादी सं.01 व 02 के विरूद्ध खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, साथ ही वादीगण की उक्त घोषित सुदा हिस्सा भूमि में प्रतिवादी सं.01 व 02 किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप पैदा नहीं करे एवं ना ही अन्य करावे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। वादीगण नक वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः प्रमाणित प्रति खतौनी भूमि एकीकरण संवत् 2015, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2030–33, प्रमाणित प्रति ए.एस.ओ. जोधपुर की मिसल सं. 764/1983 निर्णय दिनांक 26.11.1983, प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त संवत् 2037–56, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति रिपोर्ट 05.05.2014 पुलिस थाना सुमेरपुर, प्रमाणित प्रति जमाबंदिया संवत् 2053 से 2072 तक इत्यादि पेश किए।

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध किया गया। आदेश तालिका दिनांक 16.09.2014 के अनुसार प्रतिवादी सं.03 व 04 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं.01 व 02 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ जिसके अनुसार गत् खसरा नं. 310 रकबा 2.62 एकड मे से रूपा पुत्र भगाजी ने अपना खातेदारी 1/4 हिस्सा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 18.04.1983 द्वारा अचलसिंह पुत्र प्रतापजी को बैचान करने व कब्जा सुपर्द करने पर भू–प्रबंध विभाग के ए.एस.ओ. पार्टी–1 जोधपुर द्वारा मिसल सं. 764/1983 कायम कर निर्णय दिनांक 26.11.1983 को रूपा पुत्र भगाजी का नाम हटाकर खरीदकर्त्ता अचलसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, तत्पश्चात् वादग्रस्त हिस्सा भूमि अचलसिंह ने मांगुकंवर व दीपिका शर्मा को बैचान की, तत्पश्चात् मांगुकंवर व दीपिका शर्मा ने अमृतलाल व सीताकंवर को बैचान की व उसके बाद प्रतिवादी सं.01 व 02 ने उक्त हिस्सा भूमि खरीद की। इस प्रकार से रूपा पुत्र भगाजी द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज 18.04.1983 द्वारा अपने हक–हिस्से को निष्पादित बैचान कर देने से व भू–प्रबंध विभाग जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.11.1983 के अनुसार खरीदकर्त्ता अचलसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने एवं तद्परान्त आगे से आगे उपरोक्तानुसार बैचान/हस्तान्तरण होने व कब्जा सुपुद हो जाने से वादीगण के वादपत्र में वाद–कारण उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा बैचान दस्तावेज दिनांक 18.04.1983 के बाद वादग्रस्त हिस्सा भूमि पर वादीगण का कभी भी स्वामित्व कब्जा काश्त नहीं रहने से हस्बधारा 63 आर.टी.एक्ट,1955 के तहत वादीगण के हक–अधिकार कानूनन समाप्त (Extinguish) हो जाते है अर्थात वादीगण का कोई हक–अधिकार निहित नहीं रह जाता है। वादीगण ने इस वादपत्र में झूठे तथ्य दर्शाकर व प्रतिवादी सं.01 व 02 को ब्लैकमेल करने की नियत से वादपत्र पेश किया है, इसलिए वादीगण के इस वादपत्र भारी कॉस्ट पर खारिज फरमावे।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में राजस्व लोक अदालत केम्प पोमावा दिनांक 26.05.2016 को पटवारी हल्का पोमावा द्वारा वादग्रस्त भूमि के बारे में गत् व हाल राजस्व रेकर्ड तथा मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, के अवलोकन अनुसार सेटलमेंट पूर्व संवत् 2037 में ग्राम पुराडा के गत् खसरा नं. 310 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार चुन्नीलाल वल्द धुला 1/4, अदरींग वल्द भगा 1/4, रूपा वल्द भगा 1/4 व मूला वल्द भगा 1/4 भूमि एकीकरण संवत् 2015 में दर्ज थे, उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नं. 793 रकबा 0.81 हेक्टर दर्ज हुए। संवत् 2032 की खसरा गिरदावरी में चुन्नीलाल वल्द धुला 1/4, अदरींग वल्द भगा 1/4 के स्थान पर गुमानसिंह, शिवलाल, रतनसिंह, छगनसिंह, मोहनसिंह पि.अदरींग 1/4 दर्ज हुए व रूपा वल्द भगा 1/4 के स्थान पर पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर अचलसिंह पुत्र प्रतापसिंह 1/4 एवं रूपा वल्द भगा 1/4 कौम पुरोहित सा.देह खातेदार दर्ज हुए। इसके अलावा पटवारी हल्का पोमावा ने

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

अपनी कथित जांच रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया है कि ग्राम पुराडा के गत् खसरा नं. 310 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा से बने हाल खसरा नं. 793 रकबा 0.81 हेक्टर के खातेदार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में धरोपीदेवी पत्नी माधाराम कौम देवासी निवासी सुमेरपर, सीताकंवर पत्नी शैतानसिंह कौम राजपूत निवासी बलुपुरा 3/4 हिस्सा व सेसुदेवी, सुखीदेवी पुत्रीया मूलसिंह कौम पुरोहित 1/4 हिस्सा सा.देह खातेदार दर्ज है तथा उक्त खातेदारों द्वारा आपसी रजाबंदी से बंटवाडा करके कब्जा काश्त कर रखा है। इसलिए वादीगण का वादपत्र खारिज योग्य है।

(4) कि प्रश्नगत् मामले में प्रतिपक्ष की ओर से उठाये गये विधिक बिन्दु अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 व धारा 151 सी.पी.सी. पर हमने, उभयपक्षीय बहस को सुना व गहणता से मनन व विचारण किया, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेजात, पटवारी हल्का पोमावा की तथाकथित जांच रिपोर्ट, उभयपक्षीय बहस दलील व प्रतिपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण W.L.Cases(Raj.)2008(3) Page-534 में प्रतिपादित सिद्धान्त तथा उल्लेखित तमाम विश्लेषण तथ्यों पर विधिक विचारण करने के पश्चात् हमने पाया कि ग्राम पुराडा के गत् खसरा नं. 310 रकबा 2.62 एकड मे से रूपा पुत्र भगाजी ने अपना खातेदारी 1/4 हिस्सा पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 18.04.1983 द्वारा अचलसिंह पुत्र प्रतापजी को बैचान करने व कब्जा सुपर्द करने पर भू–प्रबंध विभाग ने मिसल सं. 764/1983 कायम कर निर्णय दिनांक 26.11.1983 द्वारा रूपा पुत्र भगाजी के स्थान पर अचलसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया और वादग्रस्त हिस्सा भूमि आगे से आगे बैचान/हस्तान्तरण होने के बाद वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज खसरा नं. 793 रकबा 0.81 हेक्टर के धरोपीदेवी पत्नी माधाराम कौम देवासी निवासी सुमेरपर, सीताकंवर पत्नी शैतानसिंह कौम राजपूत निवासी बलुपुरा 3/4 हिस्सा व सेसुदेवी, सुखीदेवी पुत्रीया मूलसिंह कौम पुरोहित 1/4 हिस्सा सा.देह खातेदार दर्ज है व मौके पर उक्त खातेदारों का कब्जा काश्त होने की पुष्ठि भी होती है। इसके अलावा बैचान दस्तावेज दिनांक 18.04.1983 के बाद वादग्रस्त हिस्सा भूमि पर वादीगण का कभी भी स्वामित्व कब्जा काश्त नहीं रहने से हस्बधारा 63 आर.टी.एक्ट,1955 के तहत वादीगण के हक–अधिकार कानूनन समाप्त (Extinguish) हो जाते है अर्थात वादीगण का कोई हक–अधिकार निहित नहीं रह जाता है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वादपत्र में अभिव्यक्त कथन प्रथमतः सत्यता से परे साबित होते है, द्वितीयतः प्रतिवादी सं.01 व 02 की ओर से अभिव्यक्त किए गये तमाम कथनों व साक्ष्य दस्तावेज तथ्यों से हम पूर्णतः विधिक रूप से सहमत है और इसी आधारित हमारे विधिक विचारों में प्रश्नगत मामले में प्रतिपक्ष की ओर से उठाये गये विधिक बिन्दु अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 व धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत् वादीगण का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः प्रश्नगत मामले में प्रतिपक्ष की ओर से उठाये गये विधिक बिन्दु अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 व धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुए सरहद मौजा पुराडा, पटवार सर्कल तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 793 रकबा 0.81 हेक्टर किस्म बारानी दोयम के 1/4 हिस्से के बारे में खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। माफिक निर्णय डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 03.06.2016 को राजस्व लोक अदालत लोकअप केम्प न्यायालय हाजा सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner